O/o CE (EITC)
Receipt No. 6205
Date 21 DEC 2016
DGM (IT) / SE (O)
EE Web
Section ....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्रीमती भारती पेंढ़ारकर अति0 महाप्रबंधक (मा.सं.) छ0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0,रायपुर
दूरभाष क्र. –0771–2574040

अपील प्रकरण क्रमांक 16/2016 दिनांक 27.10.2016

श्री जयगोपाल सोनी — अपीलार्थी
फ्लैट नंबर– 5274
विजया गार्डन्स, बारीडीह
जमशेदपुर– 831017

विरूद्ध

श्री व्ही. आर. मौर्या — प्रतिअपीलार्थी
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0,
डंगनिया– रायपुर

–:: आदेश ::–

(दिनांक 13.12.2016 को पारित)

अपीलार्थी श्री जयगोपाल सोनी की ओर से प्रकरण पर प्रथम अपील आवेदन प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है। जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 16/2016 दिनांक 27.10.2016 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) अपीलार्थी ने अपील आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा आवेदन दिनांक 02.11.2015 के माध्यम से "वर्ष 2009 से लेकर आज तक अधिवक्ता श्री अपूर्व कुरूप, श्री रविन्द्र श्रीवास्तव एंव श्री के.आर.नायर को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित की तरफ से कौन कौन से मामलों में पैरवी या अन्य कोई कार्यवाही करने हेतु अधिकृत/नियुक्त या अनुबंधित किया गया है। उक्त अधिवक्ताओं को वर्ष 2009 से लेकर आज तक कितने रूपये का भुगतान किस किस एवज में किया गया है, और कितना भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। उक्त समस्त किये गये भुगतान एवं प्रस्तावित/अनुमोदित भुगतान के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भुगतान अनुमोदन आदेश की प्रति चाही गई थी।

उपरोक्त के तारतम्य में जन सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 06.09.2016 के माध्यम से जानकारी 07 पेज में आवेदक को उपलब्ध करायी गई है जो अधुरी है, एंव आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के पश्चात् शुल्क के भुगतान पर प्रदान की गई है। अतएव उक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार कर वांछित पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./69–70/दिनांक 11.11.2016 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी को दिनांक <u>24.11.2016</u> को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –11 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री जयगोपाल सोनी को भी उनके द्वारा प्रदत्त पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में

उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया, साथ ही अपीलार्थी को उनके द्वारा दिये गये ई–मेल पर भी सूचना की प्रति की सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की गई है। उक्त नियत तिथि में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, श्री मौर्या, सहायक जनसूचना अधिकारी श्री पंकज सिंह एवं संबंधित प्रभाग से श्री पी.एस.परिहार सहायक प्रबंधक (विधि) उपस्थित तथा अपीलार्थी श्री जयगोपाल सोनी अनुपस्थित रहे। फलस्वरूप अपील प्रकरण पर सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी।

तत्सम्बंध में अपीलार्थी को प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क रखने बाबत् न्यायोचित अवसर (अंतिम अवसर) प्रदान करते हुए प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 09.12.2016 को कक्ष क्रमांक जी–11 में नियत की गई। जिसकी सूचना अपीलार्थी एंव प्रतिअपीलार्थी को पत्र क्रमांक 74–75 दिनांक 26.11.2016 के माध्यम से दी गई, साथ ही अपीलार्थी को उनके द्वारा दिये गये ई–मेल पर भी सूचना की प्रति की सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की गई। उपरोक्त निर्धारित तिथि में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, एवं संबंधित प्रभाग से सहायक प्रबंधक (विधि) उपस्थित हुए तथा अपीलार्थी पुनः अनुपस्थित रहें। अपीलार्थी श्री सोनी के द्वारा दिनांक 30.11.2016 को ई–मेल के द्वारा सूचित किया गया कि वह सुनवाई तिथि में उपस्थित होने में असमर्थ है, अतएव प्रकरण में उचित निर्णय दिया जाये। यथास्थिति प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) निर्धारित श्रवण तिथि 09.12.2016 को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक श्री जयगोपाल सोनी का आवेदन दिनांकित 02.11.2015 जो जनसूचना अधिकारी सह प्रबंधक (मा.सं.) कार्या0– मुख्य अभियंता (मा.सं.) छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या, रायपुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) की उपधारा (3) के अंतर्गत अंतरित प्रकरण के अंतर्गत इस कार्यालय में दिनांक 29.12.2015 को प्राप्त हुआ है। उक्त वांछित जानकारी उपमहाप्रबंधक (विधि) छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण पत्र क्रमांक 4109 दिनांक 31.12.2015 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में उपमहाप्रबंधक (विधि), होल्डिंग कंपनी द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 175 दिनांक 27.01.2016 के माध्यम से 07 छायापृष्ठों की जानकारी उपलब्ध करायी गई। तदपश्चात् निर्धारित समय–सीमा के भीतर अधिनियम की धारा–7 की उपधारा (1) के तहत रूपये 2/–प्रति पृष्ठ की दर से कुल 07 पृष्ठों की जानकारी हेतु कुल रूपये 14/–मात्र का अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान करने बाबत् आवेदक श्री जयगोपाल सोनी को उनके द्वारा दिये गये पते पर पत्र क्रमांक 253 दिनांक 27.01.2016 के द्वारा सूचित किया गया। अतएव आवेदक द्वारा अभिलेख/दस्तावेज शुल्क रूपये 14/–मात्र का भुगतान भारतीय पोस्टल आर्डर के द्वारा किया गया। तद्पश्चात् आवेदक श्री जयगोपाल सोनी को 07 पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज उनके द्वारा प्रदत्त पते पर पत्र क्रमांक 2740 दिनांक 06.09.2016 के द्वारा उपलब्ध करायी गई।

उल्लेखनीय है कि उपमहाप्रबंधक (विधि) छ.रा.वि.हो.कं.मर्या, रायपुर के द्वारा प्राप्त जानकारी ही नियमानुसार आवेदक श्री सोनी को उपलब्ध करायी गयी है। जहाँ तक आवेदक का प्रथम अपील प्रस्तुत करने हेतु आधार कंडिका क्रमांक 01 से 04 का संबंध है आवेदक को उक्ताशय के संबंध में पूर्व में ही इस कार्यालय के पृथक–पृथक पत्र क्रमांक 1968 दिनांक 17.06.2016 एंव पत्र क्रमांक 2740 दिनांक 06.09.2016 तथा पत्र क्रमांक 7963 दिनांक 27.09.2016 के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराते हुए वस्तुस्थिति से अवगत करायी जा चुकी है।

(5) उपरोक्त निर्धारित सुनवाई तिथि 09.12.2016 को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी श्री मौर्या तथा संबंधित प्रभाग से सहायक प्रबंधक (विधि) श्री परिहार उपस्थित हुए एंव अपीलार्थी श्री सोनी अनुपस्थित रहें। तत्पश्चात् प्रकरण पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

निर्धारित तिथि को प्रकरण से संबंधित दस्तावेजो/अभिलेखों का अवलोकन कर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। अपीलार्थी प्रमुखतः इस तथ्य से व्यथित है कि उन्हे वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा पूर्णतः उपलब्ध नही करायी गई है, जो प्रकरण के अवलोकन से सही प्रतीत होता है।

उक्त तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि उपमहाप्रबंधक (विधि) होल्डिंग कंपनी के द्वारा वांछित जानकारी कुल 07 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गयी, जिसे पूर्णतः नियमानुसार आवेदक श्री सोनी को उपलब्ध कराया गया है। चूंकि उक्त जानकारी (विधि) कार्यालय के द्वारा प्राप्त हुआ है अतएव जानकारी अपूर्ण है यह संबंधित प्रभाग ही स्पष्ट कर सकते है। यदि प्रकरण में अन्य कोई जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराया जाना शेष है तो जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक को उपलब्ध कराया जा सकता है। अतएव श्री परिहार सहायक प्रबंधक (विधि) के द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक श्री सोनी को वांछित जानकारी उपलब्ध करायी गई है, किंतु आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी में असंतोष व्यक्त कर जानकारी अपूर्ण है का उल्लेख प्रथम अपील आवेदन में की गई है। अतः प्रकरण का अवलोकन कर शेष जानकारी आवेदक को उपलब्ध करा दी जायेगी।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को वांछित जानकारी पूर्णतः उपलब्ध नही करायी गई है। जैसा कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा कंडिका क्रमांक 04 में की गई कार्यवाही मान्य है। क्योकि प्रतिअपीलार्थी द्वारा संबंधित प्रभाग (विधि) कार्यालय से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया और जो जानकारी उन्हे प्राप्त हुआ है उसे पूर्णतः अपीलार्थी श्री सोनी को नियमानुसार उपलब्ध करायी गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी वही जानकारी आवेदनकर्ता को उपलब्ध करा सकता है जो कि उसके पहुंच के अंदर है।

जहाँ तक अपीलार्थी का प्रथम अपील प्रस्तुत करने हेतु आधार कंडिका क्रमांक 01 से 04 का संबंध है, उक्ताशय के संबंध में प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी के द्वारा कंडिका क्रमांक 04 के पैरा क्रमांक 02 में की गई कार्यवाही स्वीकार योग्य है।

जैसा कि अपीलार्थी को अपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है, प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को जो दस्तावेज/जानकारी उपलब्ध कराया है उससे स्पष्ट है कि इसके संबंध में आवश्यक दस्तावेज/सूचना (विधि) कार्यालय द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नही दी गई है, अतः (विधि) कार्यालय को चाहिए कि इस प्रकरण में यदि किसी प्रकार का जानकारी शेष हो तो उनकी छायाप्रति प्रतिअपीलार्थी को प्रदाय करें।

इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अतएव (विधि) कार्यालय जहाँ जानकारी उपलब्ध है उनके द्वारा पूर्णतः जानकारी प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध नही करायी गयी है। अतः (विधि) कार्यालय द्वारा जानकारी/दस्तावेज पूर्ण रूप से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को कार्यवाही हेतु उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप प्रकरण में भ्रम की स्थिति निर्मित हुई और अपीलार्थी को जानकारी के लिये अकारण भटकना पड़ा, जो सही नही है। अतएव भविष्य में सूचना का अधिकार से संबंधित समय–सीमा प्रकरणों पर उचित कार्यवाही कर पूर्ण जानकारी प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

पूर्वगामी विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थी वांछित जानकारी पूर्णतः पाने का हकदार है। परिणामतः यह अपील स्वीकार की जाती है, और संबंधित प्रभाग सलाहकार (विधि) छ.रा.वि.हो.कं. मर्या, रायपुर को सलाह दी जाती है कि वे 07 दिवस के अन्दर प्रकरण का सूक्ष्मताः से अवलोकन

कर अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी जो भी कार्यालय में उपलब्ध है, प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध करावे, साथ ही प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जानकारी जितने भी छायापृष्ठों में उपलब्ध हो अपीलार्थी श्री जयगोपाल सोनी को 10 दिवस के भीतर निःशुल्क पंजीकृत डाक से उपलब्ध करावे।

उपरोक्तानुसार यह अपील प्रकरण (क्रमांक 16/2016 दिनांक 27.10.2016) इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी ऊपर पैरा में उल्लेखित सूचना/अभिलेख/जानकारी अपीलार्थी को समयावधि के अंतर्गत प्रदाय करें।

— सही —

(श्रीमती भारती पेंढ़ारकर)
अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –16/2016/76 **रायपुर, दिनांक 13/12/2016**

प्रतिलिपिः–

1 जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो ,छ. रा. वि. हो. कं. मर्या, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 सलाहकार (विधि) छ.रा.वि.हो.कं.मर्या. रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3 श्री जयगोपाल सोनी, फ्लैट नंबर– 5274 विजया गार्डन्स, बारीडीह जमशेदपुर–831017 को सूचनार्थ प्रेषित।

4 मुख्य अभियंता (EITC) ,छ.रा.वि.वि.कं.मर्या, रायपुर, उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
पुराना मंत्रालय (डी.के.एस.भवन)
परिसर स्थित इन्द्रावती खण्ड,
प्रथम तल, शास्त्री चौक, रायपुर
492001, (छ0ग0)
दूरभाष–0771–4024235,2444151

(श्रीमती भारती पेंढ़ारकर)
अपीलीय अधिकारी
सह अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.रा.वि.हो.कं.मर्या.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574040